



Regd. Office, 2nd floor, Muthoot Chambers, Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road, Kochi 682 018

RBI License no:N-16-00167

Branch : KATNI (MP)(04908)

Phone No. (07622-240002/04)
GSTIN: 23AABCT0343B1Z6

CIN: L65910KL1997PLC011300

GOLD LOAN APPLICATION FORM

Applicant Name: SURJEET SINGH BAGRI		Customer Photo	
Father / Husband Name: YASHWANT SINGH BAGRI			
Gender: MALE			Marital Status: MARRIED
Date of Birth: 08/03/1994			Age: 30
Occupation: SALARIED PRIVATE			
Income Range: 3 TO 5 LAKHS		Purpose: PERSONAL	
Permanent Address: SO YASHWANT SINGH BAGRI 32 MAIN ROAD NEAR KHAMBA, GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR JABALPUR MP, Gosalpur S.O, KATNI		Communication Address: SO YASHWANT SINGH BAGRI 32 MAIN ROAD NEAR KHAMBA, GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR JABALPUR MP, Gosalpur S.O, KATNI	
Land Mark: NEAR SHIV TEMPLE		Land Mark: NEAR SHIV TEMPLE	
City: GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR	State: MADHYA PRADESH	City: GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR	State: MADHYA PRADESH
JABALPUR MP		JABALPUR MP	
Pin Code: 483222	Tel:	Pin Code: 483222	Tel:
Mob: *****7024	Email:	Mob: *****7024	Email:
Cust. ID: 049080000001059		CRM Code: 049080055292439	Identification Details:
Address Proof Details:		Pan /Form 60: CAFPB6106B	Income Proof: NA (Loans above Rs. 25Lakhs)
Facility: Gold Loan		Type of Application: Top Up	Selected Scheme: MHP
Loan Number: 04908/MHP/000351		Loan Amount: 294,000	

Individuals 1) Photo ID Proof 2) Residence Proof

For list of acceptable documents, kindly refer to KYC Documentation Policy available on our website www.muthootfinance.com

I/We hereby request you to kindly grant an amount of Rs 294,000 (Rupees Two Lakh Ninety Four Thousand only) against the pledge of Gold ornaments (weight of 60.000 grams). The details of the gold ornaments are mentioned below.

SL No	Particulars of Gold Ornaments	No of Items	Gross Weight in Grms (A)	Deduction for Stone in Grms (B)	Net Weight in Grms (C)	Rate Per Gram (D)	Eligible Loan Amout (E)	Availed Loan Amount	Ornaments Photo
1	Necklace Wth..	2	59.000	14.200	44.800	4,900			
2	Bendi	1	2.700	0.300	2.400	4,900			
3	Bangles	2	13.800	1.000	12.800	4,900	294,000	294,000	
Total		5	75.500	15.500	60.000				

Ownership declaration by the borrower.I/We hereby declare and confirm that the above mentioned ornaments are owned by me. I/we have purchased the said ornaments from _____ vide Bill No. _____
Dated _____ (Note)

OR

They are our ancestral property/self-acquired and exclusively belong to me/us and I am indemnifying MUTHOOT FINANCE LTD (MFL) in case of any claims from any one on the ownership of the ornaments being offered to secure the subject loan. I/We are aware that the weight and quality/purity is subject to the verification by the auditors of your company and any irregularities/ anomalies notified by them are binding on me.

Note: (if available only)

Signed by OTP *****7024

04/07/2024 04:42 PM

Signature of Borrower

Certificate by Branch Manager

I hereby confirm that the above details are verified on the basis of KYC documents submitted by the borrower and found correct. The ornaments submitted by the borrower are verified and confirm that they are as per the declaration given by the borrower.

Digitally Signed by the Branch Manager

Name: DEEPAK KUMAR

EMP No: DM33561

GOLD LOAN SANCTION LETTER
Loan Sanction Letter
Sanction Date: 04/07/2024
Gold Loan No: 04908/MHP/000351
TPPNO:- Medium - 70371
OLD GL NO: MHP - 116

1. We refer to the application dated 04/07/2024 for grant of the requested Gold loan facility.
2. The Borrower acknowledges and confirms that the terms and conditions of the said loan facility are as appended in the below mentioned table.
3. The borrower also acknowledges and confirm that the below mentioned terms shall be read in conjunction with the terms and Conditions stipulated in the application form and as detailed in the annexure.

Borrower Name	SURJEET SINGH BAGRI
Facility	Gold Loan
Loan Amount	294,000
Period of Loan	12 Months
Principal Due Date	04/07/2025
Payment Mode	CASH
Rate of Interest	24% p.a
Mode of Computation of Interest	Monthly Rest
Purpose of Loan	PERSONAL
Pledge	The gold ornaments have been deposited with MFL to secure the Facility and only gold component of pledged articles will be considered for valuation
Margin	Borrowers shall ensure that at all-time aggregate amounts(including principle, interest and other charges) outstanding is not more than 90% of the value of Pledged Articles or such other percentage as stipulated by the Lender from time to time
Auction :	MFL may auction the Gold as per its policy in case of breach of the terms of sanction

Schedule of Charges (Inclusive of Taxes)		Rebate For interest payment is available till the 04/07/2025		
Particular	Amount	If paid Within	Rebate* p.a	Effective ROI p.a.
Token Charges		1 Month	9% p.a.	15% p.a.
Service Charge	Rs.880/-	2 Month	5% p.a.	19% p.a.
Security Charges	Rs.100/-	3 Month	2% p.a.	22% p.a.
SMS charges/Quarterly or part thereof	Rs.5/-			
Token Lost Charges	Rs.25/-	Beyond Principal due date- Penal Charges (including GST)		₹0.10 per day per ₹1000 or part thereof
Stamp Duty		Effective annualized Rate: 26.82%		
Postage Charges Per Notice (Ordinary/Registered/Legal notice)	Rs.30/-, Rs.100/- and Rs.120/-	*Above rebate is applicable, only if up to date interest is paid on the loan.		
Auction Charges	Rs.350/-	Payment option to remit interest/ principal direct to the loan account: Cash up to less than Rs.2 lakhs and above Rs.2 lakhs by way bank transfer/Digital platform Pay online Visit https://online.muthootfinance.com or use imuthoot app		
Door to Door Charges	Upto Rs.500/-	Safe custody Charges	Rs.5/ gm / Month (Applicable, If balance outstanding falls below 25% of loan amount)	
Loan @ Home Charges	Upto Rs.500/-	Rebate Reversal (If loan closed within)		
Third Party Transaction Charges	Rs.100/-	3 Months	6 Months	9 Months
Credit Appraisal Charges				

4. The Borrower understands that the MFL has adopted risk based pricing, which is arrived by taking into account, broad parameters like credit profile, ornaments profile (market price/purity & quality) etc. Further, the Borrower acknowledges and confirms that the MFL shall have the discretion to change prospectively the rate of interest and other charges applicable to the said loan facility.
5. The Borrower acknowledges and confirms having received a copy (electronic copy only) of the sanction letter and understood the terms and conditions of sanction.
6. Borrower understands that all the payment receipts are provided electronically only. However if physical copies of sanction letter and payment confirmation is required, please obtain the same from our branch on paying nominal charges.

Digitally Signed by the Branch Manager.
Name & Empl ID: DEEPAK KUMAR & DM33561
Declaration by the Borrower and Acknowledgement of Loan

Borrower accepts and acknowledges the receipt of Rs. 294,000, Rupees Two Lakh Ninety Four Thousand only only, under the gold loan facility by way of cash/ direct credit to bank account

Bank Name	IFSC	Account Number	Account Name

Signed by OTP *****7024

04/07/2024 04:42 PM

Signature of Borrower


नियम एवं शर्तें (गोल्ड लोन सुविधा)

1. ऋण की मात्रा संपादिक सुरक्षा गिरवी रखी गई वस्तुएँ के रूप में पेश किए गए आभूषणों में कैरेट के संदर्भ में शुद्ध सोने की मात्रा और उधारकर्ता द्वारा चुनी गई ऋण योजना पर निर्भर करेगी। ऋण की अवधि 12 महीने की होगी जब तक कि किसी विशेष योजना के तहत कम अवधि निर्दिष्ट न की गई हो।
2. ब्याज की वार्षिक दर उधारकर्ता द्वारा चुनी गई ऋण योजना पर निर्भर करेगी। ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। मूल देय तिथि से परे विलिवित अवधि के लिए दंडाल्पत्र शुल्क @ 0.10 रुपये प्रति दिन प्रति 1000 रुपये या जीएसटी सहित उसका हिस्सा लिया जाएगा। ब्याज की गणना 365 दिनों की गणना के साथ पूर्ण दिनों की संख्या के आधार पर की जाती है। ईएमआई ऋण के मामले में ब्याज दर और अन्य नियम और शर्तें ईएमआई चार्ट में उल्लिखित हैं।
3. 14% और उससे कम की न्यूनतम प्रभावी ब्याज दर वाली ऋण योजनाओं में न्यूनतम 15 दिनों की अवधि के लिए और 14% से अधिक की न्यूनतम प्रभावी ब्याज दर वाली अन्य योजनाओं के लिए न्यूनतम 7 दिनों की अवधि के लिए ब्याज राशि न्यूनतम ब्याज राशि रुपये 50/- तीजायें।
4. कंपनी किसी भी समय धन की लागत जैसे सभी प्रारंभिक कारकों को आग में रखते हुए अपने विवेक से ब्याज दर को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से ही लागू होगा।
5. उधारकर्ता द्वारा ऋण या उससे किसी हिस्से का समय से पहले भुगतान करने की स्थिति में, राशि को पहले लागत/शुल्क और ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा और फिर बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क भी लागू होगा।
6. कंपनी द्वारा चुनी गई मांग पर ऋण राशि ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ कुकाई जानी है। 2 लाख एवं 2 लाख से अधिक के ऋण का प्रेषण केवल आरटीलीएस/एनीएफटी/डिजिटल भुगतान के अन्य तरीकों के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। मांग न जाने पर भी ऋण अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण चुकाना पड़ता है। यदि संपादिक सुरक्षा के मूल्य द्वारा कुल देय राशि से कम हो जाता है, तो उधारकर्ता को जगन/मूल्य के अनुपात में अतिरिक्त सोने के आभूषण नियमी रखने होंगे। उधारकर्ता द्वारा अतिरिक्त मार्जिन आवश्यकताओं का बालन करने में विफलता की मामले में, ऐसे प्रत्येक उत्तराधान के मामले में, ऐसे अतिरिक्त मार्जिन कमी शुल्क लाया जाएगा। उधारकर्ता की ओर से ऐसा करने में विफलता की स्थिति में, कंपनी को ऋण को वापस लेने और ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय धन और अन्य ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूर्व ऋण को चुकाने की योग्य करने का अधिकार।
7. यदि उधारकर्ता की ओर से कंपनी की मांग पर अनुसार नियत तिथि के भीतर या उससे पहले ब्याज/शुल्क के साथ ऋण राशि चुकाने में कोई छूक होती है, तो कंपनी के पास उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने और/या नीलामी का वैध अधिकार है। ऋण के लिए अवेदन में दिए गए पत्र पर उधारकर्ता को 14 दिन पहले नोटिस देकर नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त राशि कंपनी के कुल बकाया को कंवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो कमी की वस्तु से उधारकर्ता से या उसकी व्यक्तिगत संपत्ति जैसे अवल संपत्ति, भूमि, भवन या किसी चल संपत्ति से की जाएगी। जहां नीलामी के माध्यम से प्राप्त राशि उधारकर्ता से देय कुल राशि से अधिक है, तो वस्तु में अविरक्त राशि ऐसी वस्तु की तारीख से 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता को नकद या चेक द्वारा वापस कर दी जाएगी। हालांकि, यदि उधारकर्ता पर कोई अन्य राशि बकाया है, तो उसे अतिरिक्त राशि से विनियम द्वारा वस्तु की राशि जाएगा और यदि कोई शेष है, तो उसके बाद ही उधारकर्ता को वापस किया जाएगा।
8. यदि कंपनी को उद्देश्यताएँ देती है या उधारकर्ता स्वेच्छा से या अनेक रूप से किसी भी दिवालियेपन या दिवाला कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन जाए, कंपनी 14 दिन पहले नोटिस, ऋण के लिए आवेदन पत्र में दिए गए पत्र पर देकर नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नियमी रूप से आभूषणों को बेचने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
9. **नीलामी व्यवहार**

उधार की राशि	नीलामी व्यव	प्रिटिंग व स्टेशनरी	विज्ञापन शुल्क	परिवहन शुल्क	पुनर्मूल्यांकन	नीलामकर्ता को भुगतान किया गया शुल्क	डाक खर्च	छाटाई, उठाने एवं नीलामी संबंधी अन्य कार्यों पर होने वाला व्यव
0*1 लाख	₹. 400	50	50	50	50	25	25	150
1*2 लाख	₹. 600	50	50	75	75	50	25	275
2 लाख और उससे अधिक	₹. 800	50	50	100	100	100	25	375

10. यदि कंपनी किसी भी कारण से ऋण योजना समाप्त कर देती है, तो उससे पहले ब्याज/शुल्क के साथ ऋण राशि चुकाने में कोई छूक होती है, तो कंपनी के पास उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के बाद भी ऋण जारी रखना चाहता है, तो उसे उक्त ऋण साता बंद कर देना होगा। वह किसी भी मोजूदा योजना के तहत नया ऋण प्राप्त कर सकता है, जो उधारकर्ता को बंद ऋण योजना के समान प्राप्त ग्राम दर पर ऋण लेने को अनुमति देता है या नई योजना के तहत कम राशि मिलने पर अंतर का भुगतान करता है।
11. किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को प्रतिमूल्यांकों को बेचने, स्थानांतरित करने, अविटिट करने और वार्च करने के द्वारा ऋण/उधार लेने के सभी अधिकार, स्वामित्व और किसी भी अन्य व्यक्ति या कंपनी को इकाई के इकाई के लिए अवधि के लिए अनुपात में कंपनी के द्वारा अर्जित ब्याज का पूर्ण अधिकार है। कंपनी के लिए लेनदेन में सुधार देवतावेशों के रूप में दिए गए सभी वैधानिक निकायों द्वारा अविटिट करने के लिए वस्तुधारा के रूप में पैदा की जानकारी होती है। उधारकर्ता कंपनी को इकाई इंफोर्मेशन ब्यारो (ईडिया) लिमिटेड और/या भारतीय रिवर्ट बैंक या अन्य स्वेच्छानिक निकायों द्वारा अविटिट करने के लिए सुधार देवतावेशों के रूप में दिए गए सभी वैधानिक निकायों द्वारा अविटिट करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता समझता है कि ऐसी एजेंसियां ऐसी जानकारी का प्रयोग या साझा किसी भी रीटैक्स के सरकारी है जो उसे उत्तराधान ले रही है। इसके द्वारा उधारकर्ता कंपनी को केंटेड इंफोर्मेशन ब्यारो (ईडिया) लिमिटेड या किसी अन्य एजेंसी के पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या डेटा प्राप्त करने के लिए अन्य सहमति देता है।
12. केवल ऋण लेने वाले व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही ऋण, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ चुकाने के बाद आभूषण वापस लेने का अधिकार है। गिरवी रखे गए सामान को वापस पाने के लिए ऋण साता बंद करते समय इस स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि कंपनी को जमा करनी होगी। (स्वीकृति पत्र की प्रति खो जाने की स्थिति में मुआवजे का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।)
13. गिरवी रखी गई वस्तुयां सभी बकाया राशि के पुनर्मूल्यांतर पर उधारकर्ता को वापसिकरण करने के लिए ऋण साता बंद करते समय इस स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि कंपनी को जमा करनी होगी।
14. ऋण राशि का उपयोग किसी भी गैरकरानीया या अवैधानिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
15. कंपनी उधारकर्ता के खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने के किसी भी अनुरोध पर वैचार कर नहीं करेगी। हालांकि कंपनी ऋण खाते और/या गिरवी रखी वस्तुओं को कंपनी की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
16. कंपनी भी रीटैक्स के सरकारी है जो उसे उत्तराधान ले रही है। इसके द्वारा उधारकर्ता कंपनी को केंटेड इंफोर्मेशन ब्यारो (ईडिया) लिमिटेड या किसी अन्य एजेंसी के पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या डेटा प्राप्त करने के लिए अन्य सहमति देता है।
17. पाप ऋण राशि की गणना के उत्तराधान, आपूर्ण राशि की शुद्धता 22 कैरेट के रूप में ली गई है। कंपनी गिरवी रखी वस्तुओं की शुद्धता को पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने के पश्चात ग्राम दर पर भी ग्राम नकदी की रुपी राशि की वस्तुओं के साथ चुकाने के बाद आभूषण वापस लेने का अधिकार है। गिरवी रखे गए सामान को वापस पाने के लिए ऋण साता बंद करते समय इस स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि कंपनी को जमा करनी होगी।
18. चौपरी, डकैती, आग, बाढ़, भूकंप आदि के कारण गिरवी रखी गई वस्तुओं के सुधारकर्ता की गणना की स्थिति में, कंपनी का दायित्व 22 कैरेट सोने के शुद्ध वजन के बारबर मूल्य का भुगतान करने तक सीमित है। यह भुगतान राशि डकैती/नुकसान के दिवस पर इंडिया ब्लैजिन जैलर्स एंडोरिंग्स द्वारा प्राप्ति दर पर निर्धारित की जायेगी। इस स्थानांतरित राशि में से ऋण व ब्याज की राशि की कटौती के पश्चात बच्ची हुई राशि को उधारकर्ता द्वारा उत्तराधान करने की दी जायेगी। इस संबंध में ब्याज की गणना डकैती/नुकसान की तारीख से उधारकर्ता द्वारा दिए गए दावे की तारीख के लिए उत्तराधान करने की जायेगी।
1. सभी संचार उधारकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्र पर भेजे जाएं। यदि पत्र को फ़ोन नंबर में कोई परिवर्तन होता है, तो उधारकर्ता को तुरंत कंपनी की लिखित रूप में सूचित करना चाहिए अन्यथा उत्तर पत्र पर भेजे जाए गए डिमांड नोटिस, नीलामी नोटिस आदि सहित सभी संचार उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए माना जाएं।
19. कंपनी भी ब्याज, मूलान के भुगतान की याद दिलाने और कंपनी या किसी अन्य संस्था के किसी भी अन्य उत्पाद/सेवाओं के बारे में या उधारकर्ता को कोई जानकारी देने के लिए अन्य तरीकों से एसएमएस या संचार भेजने का विकल्प चुन सकती है।
20. यह ऋण कंपनी की टेबेसाइट www.muthootfinance.com पर प्रकाशित कंपनी की "उत्तित व्यवहार संहिता" की शर्तों के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है। हमारे नियम और शर्तों वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। कृपया उपर्युक्त "ऋण मूल्यांकन और नियम और शर्तें" के तहत लिंक <http://www.muthootfinance.com/policy/fair-practices> पर उत्तित व्यवहार संहिता पर जाएं। नियम और शर्तों में बदलाव समय-समय पर वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएं जो बाद में स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होंगे।
21. कंपनी की कर्मचारियों/लोकपालों को जब भी स्थानीय आभूषणों के सत्यापन की अवश्यकता होगी, कंपनी द्वारा नियमित नियमित विधियों को अपनाकर संपादिक सुरक्षा के रूप में पेश किए गए आभूषणों की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार होगा।
22. उधारकर्ता को अतिरिक्त स्टॉप शुल्क, कर, दंड आदि सहित ऋण दस्तावेजों पर टॉप शुल्क का वहन/भुगतान करना होगा, जैसा कि ऋण खाते के संबंध में सरकार/ग्राहिकरणों द्वारा समय-समय पर लागू/माना जायेगा।
23. यदि उधारकर्ता को सोने के आभूषणों की सुरक्षा पर लिए गए ऋण से संबंधित किसी भी पहलू के बारे में कोई शिकायत है, तो उसे पहले इसे संबंधित शाखा प्रबंधक के द्वारा लाना होगा। यदि शाखा प्रबंधक शिकायत का समाधान नहीं कर सका, तो उधारकर्ता को शिकायत निवारण कंक्ष को लिख सकता है। शिकायत निवारण कक्ष अधिकारी, मुख्य फाइनेंस लिमिटेड, मुख्य टार्क्स-अलकनंदा, नई दिल्ली-110019 (उत्तर, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों के अन्य सभी राज्यों के लिए)।
24. कंपनी ऋण मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों में दिए गए उद्देश्य को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। (उधारकर्ता द्वारा पहले न बताई गई नई जानकारी मांगने के अलावा)।

25. उधारकर्ता कंपनी को अंतिमिहित गिरवी वस्तुओं पर विकल्प अनुबंध में प्रवेश करके मूल्य जोखिम से बचाव करने के लिए अधिकृत करता है जो इस ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पेश किए जाते हैं। और विकल्प अनुबंध के संबंध में संबंधित आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सहमत है।

26. कंपनी अपने नियंत्रण से परे कारणों से गिरवी रखी गई वस्तुओं को होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाएँ जैसे आग, बाढ़, भूकंप आदि। और ऐसी परिस्थितियों में कंपनी द्वारा प्राप्त केवल बीमा दावे की राशि उधारकर्ता को मूआवजे के रूप में दी जायेगी।

27. ऋण के सभी संवितरण/ऋण की चुकौती/ब्याज का भुगतान और अन्य सभी लेनदेन उधारकर्ता द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर कार्य धंटों के दौरान किए जाएंगे। यदि किसी पुनर्भूतान या किसी राशि के भुगतान की देयतिथि कार्य दिवस नहीं है, तो यह उस दिन से ठीक पहले के कार्य दिवस पर किया जाएगा।

28. उधारकर्ता पुष्टि करता है कि एमएफएल रिकॉर्ड में रखी गई गिरवी वस्तुओं का मूल्य स्वीकार्य, नियायिक और अंतिम है और उधारकर्ता पर बाधकारी है।

29. मैं यह समझता हूँ कि एमएफएल द्वारा उधारकर्ता को ऋण स्वीकृत करने का मतलब यह नहीं है कि एमएफएल यह गिरवी रखे एवं सोने के आभूषणों की पुष्टि या स्वीकार करता है कि वे एक विशेष क्रेट शुद्धता के हैं।

30. उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर समय लेन-देन दस्तावेजों के तहत बकाया कुल राशि एमएफएल के रिकॉर्ड के अनुसार गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य का 90% से अधिक न हो, तथा समय-समय पर एमएफएल द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रतिशत ("मार्जिन") को बनाए रखें।

31. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वह किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन या किसी गलत बयानों के परिणामस्वरूप एमएफएल को होने वाले सभी नुकसान और देनदारियों (तीसरे पक्ष के दावों सहित) के लिए एमएफएल को क्षतिपूर्ति देगा और उसे सुविधा या गिरवी रखी गई वस्तुओं के संबंध में हानिरहित रहेगा। उधारकर्ता ऋण के संबंध में किसी भी लागत और खर्च के लिए एमएफएल को प्रतिपूर्ति करेगा, जिसमें प्रतिभूतियों का बीमा करने की लागत, प्रवर्तन लागत, सभी करों के बकाया की निकासी और सरकार के किसी भी अन्य शुल्क आदि शामिल हैं।

32. उधारकर्ता को समय-समय पर एमएफएल द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करना होगी। एमएफएल स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है और समय-समय पर एमएफएल द्वारा आवश्यक सभी जाने वाली क्रेटिट रिपोर्ट या कोई अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

33. किसी भी उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखे आभूषणों के स्वामित्व में परिवर्तन एमएफएल की पूर्व सहमति से होगा।

34. यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रणालीतांत्र धोखाधड़ी का पता चलने पर उधारकर्ता का कोई भी अभ्यावेदन झूठा, भ्रामक या गलत पाया जाता है, तो एमएफएल ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार देय सभी रकमें उधारकर्ता को ब्याज सहित खुल्ते हुए बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए कह सकता है।

35. उधारकर्ता को दी गई सुविधा के संबंध में और/या बकाया राशि की वस्तुओं के लिए उधारकर्ता की ओर से किसी भी कार्य या डिफॉल्ट के कारण एमएफएल द्वारा किए गए सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों का भुगतान करने के लिए, (कानूनी/वकील शुल्क सहित) और/या लैन-देन दस्तावेजों के तहत किसी भी नियम और शर्तों के उधारकर्ता की विफलता के कारण उधारकर्ता को कहा जा सकता है या सूचित किया जा सकता है।

36. ऋण दस्तावेजों या उसके निष्पादन से संबंधित किसी भी और सभी दावों और विवादों को एमएफएल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्वारा निपाटाया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान कोचीन एन्ऱकुलम में होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक सशाधन या पुस्तक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवाजाहित की जाएगी और ऐसे मध्यस्थ का नियंत्रण अंतिम और उधारकर्ता और एमएफएल पर बाधकारी होगा।

37. एमएफएल को उधारकर्ता का बकाया वासुदेवन के लिए उधारकर्ता के व्यय तथा जोखिम पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अधिकार होगा तथा उधारकर्ता से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और अंकड़े साझा करने का अधिकार होगा। ऋणदाता, किसी भी समय, लैन-देन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ और दायित्वों को नियंत्रित या स्थानतरित कर सकता है।

शेषणा और वचन

1. मैं इस बात से सहमत हूँ कि कंपनी द्वारा मुझे दिए गए ऋण की पूर्व शर्त के रूप में, ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भूतान में किसी भी चुक के मामले में, या संबंधित नियत तारीख पर ऋण की किसी भी सहमति किस्त के मामले में, कंपनी को डिफॉल्ट के रूप में मेरे नाम, विवरण और फोटो को इस तरह से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करने का प्राकृतिक करने का सम्मान अधिकार होगा, जैसा कि कंपनी अपने पूरा विवक्ष से उचित समझे। पुनर्प्राप्ति के लिए, कंपनी रोड शो कर सकती है या खुली "मुनावी" (लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणा) आयोजित कर सकती है। कंपनी के अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि ऋण के अनुवर्ती कारबोर्डी के अंतर्गत उधारकर्ता के निवास/कार्यस्थल/व्यवसाय का दीरा कर सकते हैं। ऐसी सेवाओं के लिए, संग्रहण शुल्क रु. 177/- प्रति ऋण खाता लागू है।

2. मैं अपने द्वारा लिए गए ऋण को ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ 12 महीने या जोनों के तहत उन्दिष्ट स्वीकृत अवधि के भीतर बुकाने का वरच देता हूँ।

3. मैंने इसके बाद उल्लिखित नियमों और शर्तों और मेरे द्वारा लिए गए ऋण पर लागू ब्याज दर को पूरी तरह से समझ लिया है और मैं इससे सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ।

4. मैं अपने द्वारा लिए जा रहे ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में मेरे द्वारा दिए गए सोने के आभूषणों का असली और लाभार्थी स्वामी हूँ। मैंने उक्त आभूषण वैध तरीके से हासिल किये हैं और इसके स्वामित्व के संबंध में किसी भी जीवित व्यक्ति या किसी भी मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी से कोई दावा या विवाद नहीं है।

5. सुरक्षा के रूप में पेश किए गए आभूषण 22 केरेट शुद्धता वाले शुद्ध सोने के हैं।

6. मैं इस बात से सहमत हूँ कि एमएफएल बिना कोई नोटिस दिए, ऋण की अवधि के दौरान ऐसे सीलबंद पैकेट को खोलने और गिरवी रखी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में जांच करने का हकदार होगा (पिघलने/काटने/विनाश परीक्षण करने तक सीमित नहीं है) या किसी भी समय उधारकर्ता के जीवान को खोलने और व्यवहार करने के लिए उपयोग करने का अनुवर्ती कारबोर्डी के अंतर्गत उधारकर्ता के निवास/कार्यस्थल/व्यवसाय का दीरा कर सकते हैं। ऐसी सेवाओं के लिए, संग्रहण शुल्क रु. 177/- प्रति ऋण खाता लागू है।

7. ऋण राशि, ब्याज की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, मैं अपनी इच्छा से मुश्तुपट फाइनेंस लिमिटेड (एमएफएल) के पक्ष में एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट, डीपीएन डिलीवरी प्रॉट और छूट पत्र निष्पादित कर रहा हूँ। मैंने ऋण अनुदान के लिए डिमांड प्रॉमिसरी नोट में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ा है, जो मेरी संविधित में भरे गए हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के रूप में ऋण के लिए और उसके संबंध में मेरे द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की प्रतियोगी प्राप्त हुई हैं और मुझे किसी भी भौतिक प्रतियोगी की आवश्यकता होती है तो ऐसी प्रतियोगी मुझे मामूली कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है।

8. **स्थानीय घोषणा:** उपरोक्त नियमों और शर्तों को मेरी समझ में अने वाली भाषा में मुझे समझाया गया है और मैंने विभिन्न खंडों के पूरे अर्थ और निहारात के सम्बन्ध में जांच करने का हकदार होगा (पिघलने/काटने/विनाश परीक्षण करने तक सीमित नहीं है) या किसी भी समय उधारकर्ता के जीवान को खोलने और व्यवहार करने के लिए उपयोग करने का अनुवर्ती कारबोर्डी के अंतर्गत उधारकर्ता के निवास/कार्यस्थल/व्यवसाय का दीरा कर सकते हैं।

9. यदि स्वामित्व और वचन के लिए सुरक्षा के रूप में मेरे द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की प्रतियोगी प्राप्त हुई हैं और मुझे किसी भी भौतिक प्रतियोगी की आवश्यकता होती है तो ऐसी प्रतियोगी मुझे मामूली कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार उधारकर्ता के अनुवर्ती कारबोर्डी द्वारा निष्पुत्रता के अनुकूल स्थान की अधिकारी द्वारा जाएगा। मध्यस्थता के अधीन, एन्ऱकुलम होगा। मध्यस्थता की अदालतों के पास इस लैन-देन से संबंधित किसी भी विवाद पर विवाद करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

10. मुझे पता है कि ऋण दस्तावेजों पर मेरे द्वारा एमएफएल सिस्टम में दर्ज मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए और अपीली को मान्य करने के आधार पर हस्ताक्षर में मेरा कोई दावा/विवाद नहीं है।

मेरी आधार संख्या का धारा और यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण के लिए मेरा आधार संख्या, नाम और उंगलियों के निशान प्राप्त करने के लिए मेरे बायोमेट्रिक्स को साझा नहीं किया जाएगा और केवल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से सीआईडीआर को प्रस्तुत किया जाएगा।

तिथि :

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

उधारकर्ता के हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र

ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए आभूषणों के शुद्ध वजन में सोने की मात्रा की शुद्धता लगभग 22 केरेट के रूप में मूल्यांकन की जाती है, जो उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण/ऋण के लिए आवेदन में की गई घोषणाओं के आधार पर होती है, इस तथ्य का प्रयोग आरक्षित मोबाइल नंबर के लिए आरक्षित गिरवी रखी गई वस्तुओं की निर्धारण है। इस प्रमाणीकरण के आधार पर सोने की शुद्धता के संबंध में कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा।

शाखा प्रबंधक